

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ 2 (ग) (कैडर रिव्यू) अलेसे । / 440

दिनांक :- 16.6.2023

आदेश संख्या : 07/2023-24

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा सन्तुक्त शासन सचिव, वन विभाग के पत्र क्रमांक प .12(18)वन /2022 दिनांक 29/06/2022 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की काडर स्ट्रेन्थ में वन विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स .	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स .ले.अ .- I	स .ले.अ .- II	क .लेखाकार	स .ले.अ .- I	स .ले.अ .- II	क .लेखाकार
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर (19339)	0	1	2	0	1	1
2	उपवन संरक्षक एवं उपक्षेत्रीय निदेशक रामगढ़ विषधारी बूंदी (8001404)	0	0	0	0	0	1

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स .ले.अ .-I	स .ले.अ .-II	क .लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2467	3776	5564	11807
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2467	3376	5564	11807


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ 2 (ग) (कैडर रिव्यू) अलेसे । / 440

दिनांक :- 16.6.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे I / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु


(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)